



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122025-268710
CG-DL-E-22122025-268710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5725]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025/अग्रहायण 28 1947

No. 5725]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2025/AGRAHAYANA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5922(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **5522(E)** तारीख **23/12/2024**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तराखंड राज्य के चम्पावत जिले में NH309A के कि.मी. 0 से कि.मी.7 तक के भूखण्ड पर का निर्माण (चौड़ाकरना/ दो लेन बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05/04/2025 को "द टाइम्स ओफ इंडिया " , 05/04/2025 को "हिन्दुस्तान" " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले में NH309A के कि.मी. 0 से कि.मी.7 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तराखण्ड			जिले का नाम: चम्पावत		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बाराकोट					
गांव का नाम: बौतड़ी					
1	1662	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.01	उत्तराखण्ड सरकार 1662
2	1663	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.011	उत्तराखण्ड सरकार 1663
3	1665	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.019	उत्तराखण्ड सरकार 1665
4	1666	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.048	उत्तराखण्ड सरकार 1666
5	1672	निजी (एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.01	पुष्कर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह, आनंदी देवी पत्नी राम सिंह 1672
6	1674	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.061	उत्तराखण्ड सरकार 1674
7	1675	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.005	उत्तराखण्ड सरकार 1675
8	1676	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.009	उत्तराखण्ड सरकार 1676
9	1677	निजी (एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.011	कौशल्या पत्नी दान सिंह, सुरेश सिंह, इंद्र सिंह, कपूर सिंह, श्याम सिंह पुत्र उमेद

					सिंह, गिरीश सिंह, महेश सिंह पुत्र नारायण सिंह 1677
10	1680	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.011	उत्तराखंड सरकार 1680
11	1681	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.011	उत्तराखंड सरकार 1681
12	1682	निजी (एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.003	दीवान सिंह पुत्र जीत सिंह 1682
13	1694	सरकारी (रौली)	रौली	0.008	उत्तराखंड सरकार 1694
14	2013	सरकारी (रौली)	रौली	0.018	उत्तराखंड सरकार 2013
15	2014	सरकारी (बैरेन)	बैरेन	0.135	उत्तराखंड सरकार 2014
Total				0.37	

[फा. सं. NH-309A-UR-2020-21-590/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2025

S.O.5922(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5522(E) Dated:23/12/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ Two-laning, etc.), Maintenance, management and operation of NH309A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 7 in the district of CHAMPAWAT in the state of UTTARAKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 05/04/2025, “Hindustan” dated 05/04/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH309A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 7 in the district of CHAMPAWAT in the state of UTTARAKHAND.

State: UTTARAKHAND			District: CHAMPAWAT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Barakot					
Village: Botdi					
1	1662	Government (Barren)	Barren	0.01	Uttarakhand Government 1662
2	1663	Government (Barren)	Barren	0.011	Uttarakhand Government 1663
3	1665	Government (Barren)	Barren	0.019	Uttarakhand Government 1665
4	1666	Government (Barren)	Barren	0.048	Uttarakhand Government 1666
5	1672	Private (Agriculture)	Agriculture	0.01	Pushkar Singh, Surendra Singh S/O Ram Singh, Aanandi Devi W/O Ram Singh 1672
6	1674	Government (Barren)	Barren	0.061	Uttarakhand Government 1674
7	1675	Government (Barren)	Barren	0.005	Uttarakhand Government 1675
8	1676	Government (Barren)	Barren	0.009	Uttarakhand Government 1676
9	1677	Private (Agriculture)	Agriculture	0.011	Kaushalya W/O Daan Singh, Suresh Singh, Indra Singh, Kapoor Singh, Shyam Singh S/O Umed Singh, Girish Singh, Mahesh Singh S/O Narayan Singh 1677
10	1680	Government (Barren)	Barren	0.011	Uttarakhand Government 1680
11	1681	Government (Barren)	Barren	0.011	Uttarakhand Government 1681
12	1682	Private (Agriculture)	Agriculture	0.003	Diwan Singh S/O Jeet Singh 1682

13	1694	Government (Rauli)	Rauli	0.008	Uttarakhand Government 1694
14	2013	Government (Rauli)	Rauli	0.018	Uttarakhand Government 2013
15	2014	Government (Barren)	Barren	0.135	Uttarakhand Government 2014
Total				0.37	

[F. No. NH-309A-UR-2020-21-590/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director